

**बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग**

का0आ0सं0-भवन/भू-सम्पदा-01-आवास(राजपत्रित)-01/2026-132

पटना, दिनांक-18.09.2026

'कार्यालय आदेश'

राजपत्रित आवास आवंटन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पूर्वदेश को विखंडित करते हुए निम्नांकित राजपत्रित पदाधिकारियों को पटना केन्द्रीय पूल से नियमानुसार आदेय किराया एवं करों के भुगतान की शर्त पर ई-टाईप एवं डी-टाईप आवास, गर्दनीबाग आवंटित किया जाता है:-

क्र0	Reg l'd	नाम/पदनाम	कार्यालय/विभाग	आवंटित आवास
1.	-	श्री अनील बसाक, भा0प्र0से0, संयुक्त सचिव	पथ निर्माण विभाग	E3/603, गर्दनीबाग
2.	BG8672	श्री प्रद्युम्न सिंह यादव, भा0प्र0से0, निदेशक	खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उद्योग विभाग	E1/304, गर्दनीबाग
3.	BG8677	श्री अनुराग कौशल सिंह, संयुक्त सचिव	सामान्य प्रशासन विभाग	D2/101, गर्दनीबाग
4.	BG8660	श्री रजनीश कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक	गृह विभाग	D2/504, गर्दनीबाग
5.	BG8657	श्री प्रमोद कुमार, उप सचिव	परिवहन विभाग	D2/302, गर्दनीबाग
5.	BG8656	श्रीमती प्रीति सिंह, उप सचिव	ग्रामीण कार्य विभाग	D2/501, गर्दनीबाग
6.	BG8658	श्री मनीष कुमार, उप सचिव	सामान्य प्रशासन विभाग	D2/502, गर्दनीबाग
7.	BG8659	श्री अभिषेक कुमार, उप सचिव	नगर विकास एवं आवास विभाग	D2/503, गर्दनीबाग
8.	BG8676	श्री प्रशांत कुमार, प्रशासनिक पदाधिकारी	बिहार शिक्षा परियोजना पर्षद	D5/401, गर्दनीबाग
9.	BG8673	श्री सुबीर रंजन, उप सचिव	जल संसाधन विभाग	D2/301, गर्दनीबाग
10.	BG8675	श्री संदीप कुमार, उप सचिव	सामान्य प्रशासन विभाग	D2/603, गर्दनीबाग
11.	BG8670	श्री नितेश कुमार वर्णवाल, कार्यपालक अभियंता निरूपण	भवन निर्माण विभाग	D2/604, गर्दनीबाग
12.	BG8654	श्रीमती दीपमाला, सहायक निदेशक	वित्त विभाग	D2/701, गर्दनीबाग

- सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम-10 के अधीन आवंटी पदाधिकारी से अनुरोध है कि पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे कि उन्हें आवंटित आवास स्वीकार है अथवा नहीं। यदि आवंटित आवास स्वीकार है तो उक्त अवधि के अन्दर आवास अधिग्रहण कर भवन निर्माण विभाग को तदनुसार सूचित करेंगे। उक्त अवधि में आवंटी पदाधिकारी से कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जायेगा।
- नये आवंटी पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित आवास का प्रभार लेकर उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे।
- विभागीय आदेश सं0-3473, दिनांक-30.04.2024 के आलोक में गर्दनीबाग में नवनिर्मित बहुमंजिला आवासीय परिसर के कॉमन एरीया का साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, लिफ्ट,



डब्ल्यू0टी0पी0, एस0टी0पी0, जेनरेटर आदि का परिचालन में होने वाले व्यय को ध्यान में रखकर मानक किराया के साथ अतिरिक्त मासिक मेंटेनेंस चार्ज भी लिया जायेगा जो निम्नवत है :-

क्र0	आवास का टाईप	मासिक मानक किराया	मासिक मेंटेनेंस चार्ज	प्रति आवास कुल मासिक कटौती
1.	ई-टाईप आवास, गर्दनीबाग	₹1290	₹1720	₹3010
2.	डी- टाईप आवास, गर्दनीबाग	₹936	₹1248	₹2184

उपर्युक्त मासिक चार्ज को संबंधित आवासी के विभाग द्वारा प्रतिमाह मानक किराया के साथ ही वेतन से कटौती की जायेगी।

5. पटना से बाहर स्थानांतरण के उपरांत आवास दखल में रखने की अनुमान्य अवधि मात्र 1 (एक) माह है। उक्त अवधि के पश्चात मानक किराया का 30 गुना प्रति माह की दर से दण्ड किराया एवं मासिक मेंटेनेंस चार्ज वसूल किया जायेगा तथा निष्कासन की भी कार्रवाई की जायेगी।
6. सरकारी आवास संबंधी किसी भी विषय, विवाद या अनियमितता को आवास आवंटन नियमावली, 1986 के नियमों के अनुरूप निस्तारित किया जाएगा।
7. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(शिव रंजन)

संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी

झापांक:-भवन/भू-सम्पदा-01-आवास-(राजपत्रित)-01/2026-8930(भ) पटना, दिनांक:-18.09.2026

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी संबंधित पदाधिकारी/मुख्य अभियंता(पटना)/कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमण्डल/कार्यपालक अभियंता, कर प्रमण्डल/विद्युत कार्य प्रमण्डल सं0-1 एवं 03/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमण्डल (पेसू)/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी